17/13 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

A2
7

अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को भिजवाई जाकर निर्देश हैं कि रिकार्ड संलग्न कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे रैफरेंस पेश करने हेतु निर्देशित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

17/13 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

A2/6

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–17 / 13

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर ....प्रार्थी

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत मोटासर खूनी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर

.... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोटासर खूनी के प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 01/06/17

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा रेफरेंस विरूद्ध चक 1 एफ एफ की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 4 नया पुराना 7 की 3.744 है. भूमि गैर मुमकिन जोहड पायतन के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। इन्तकाल संख्या 25 दि. 2.9.64 द्वारा उक्त भूमि को आवंटन आदेश द्वारा ग्राम पंचायत मोटसर खूनी के नाम से पारित किया गया। यह रकबा जोहड पायतन का होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में आवंटन योग्य नहीं था। रेफरेंस सुनवाई की जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे।

रेफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा रेफरेंस प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को निर्देश हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा आवंटन अधिकारी उप जिला कलक्टर द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनांक 31.07.1984 द्वारा जोहड का रकबा अप्रार्थी को आवंटन किया गया है।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है लेकिन रेकार्ड चाहे जाने पर रिकार्ड अनपलब्ध होना दर्शित किया गया है। प्रस्तुत हक मौरूसियत के अनुसार प्रश्नस्पद रकबा पायतन जोहड होना दर्ज है व ग्राम पंचायत मोटासर खूनी द्वारा दिनांक 2.9.64 के अनु इन्तकाल ग्राम पंचायत मोटासर खूनी के नाम से किया गया है व जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में सार्वजनिक ट्रस्ट के नाम दर्ज कागजात रिकार्ड है।

उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्राथी के पक्ष में किया गया है, रेफरेंसाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर